ANNEXURE-J

सं0. फिन (पीआर)बी(7) -1/98
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

1 समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 ।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3 समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-171002 12 जनवरी, 2004

विषयः प्लेसमैंट वेतनमान/ सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (Assured Career Progression Scheme) के लाभों हेतु तदर्थ कार्यकाल की गणना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10 अगस्त, 1999 को निरस्त करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग ने पत्र संख्या पर (ए.पी) सी-बी(2)-2/95 भाग-III दिनांक 31 अगस्त, 2002 के निर्णयानुसार तदर्थ सेवा अवधि को पदोन्नति तथा कन्फरमेशन इत्यादि के लिए 31.3.1998 तक की गई सेवा अवधि की निश्चित तारीख (cut off date) को समाप्त कर दिया गया हैं।

अतः वेतन संशोधन आदेशों में तथा सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (Assured Career Progression Scheme) में जहां जहां भी नियमित सेवाकाल को पात्रता माना जाने का उल्लेख किया गया है, अब तदर्थ रूप से की गई सेवा अवधि को प्लेसमैंट वेतनमान/ सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अर्न्तगत देय लाभों के लिए गणनाा में लिया जाएगा । इसके लिए तदर्थ रूप से नियुक्ति का अभिप्रायः ऐसे कर्मचारियों से है जिनकी आरम्भिक भर्ती तो नियमित रूप से हुई हो परन्तु तत्पश्चात् वह तदर्थ रूप से पदोन्नत होकर कार्य कर रहे हों । ऐसे कर्मचारी जिनकी आरम्भिक भर्ती ही तदर्थ तौर पर हो इस लाभ के पात्र नही माने जायेंगें ।

भवदीय,
हस्त0
अतिरिक्त सचिव (वित्त वे0 प0)
हिमाचल प्रदेश सरकार